अत्यावश्क

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ 165(13)पंरावि/एफएफसी/2015–16/ 9888–89 जयपुर, दिनांकः– 15-02-2016

मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद– समस्त।

विषयः– 14वें वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायतों को देय निष्पादन अनुदान हेतु जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने बाबत।

संदर्भः– सदस्य पंचम राज्य वित्त आयोग का पत्रांक प. 5(34)पंराविआ/2015/587 दिनांक 25.01.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक की अवधि हेतु पंचायती राज संस्थाओं के लिए राशि रू. 1363.37 करोड़ निष्पादन अनुदान के पेटे दिये जाने की सिफारिश की गई है। इस संबंध में वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग से अनुमोदन उपरान्त दिशा–निर्देश विभागीय पत्रांक 9607 दिनांक 05.02.2016 द्वारा जारी किये जा चुके है। जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतें निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करने के पश्चात ही कार्य निष्पादन अनुदान हेतु पात्र हो सकेंगीः–

1. **अंकेक्षित वार्षिक लेखेः–** आयोग की रिपोर्ट की बिन्दु संख्या 9.76 के अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदानों की पात्रता पाने हेतु ग्राम पंचायतों को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने होगे, जो कि उस वर्ष, जिसके लिए ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से संबंधित नही होगें। ऐसा अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जावेगा तथा अंकेक्षित खातों के प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत को निष्पादन अनुदान की 50 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. **निजी आय वृद्धिः–** आयोग की रिपोर्ट की बिन्दु संख्या 9.76 के अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदानों की पात्रता पाने हेतु ग्राम पंचायतों को पूववर्ती वर्ष की तुलना में अपनी निजी आय में वृद्धि भी करनी होगी और यह वृद्धि लेखा परीक्षित लेखाओं के माध्यम से स्थापित होनी चाहिए। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत निजी आय में वृद्धि होने पर संबंधित ग्राम पंचायत को निष्पादन अनुदान की 50 प्रतिशत राशि देय होगी।

ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के दावे पंचायत समितियों को संबंधित वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत किये जायेंगे। पंचायत समितियॉ ऐसे दावों को संकलित कर जिला परिषदों को संबंधित वर्ष की 15 जुलाई तक तथा जिला परिषदें ऐसे दावों को संकलित कर संबंधित वर्ष की 31 जुलाई तक पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत करेंगी।

निष्पादन अनुदान हेतु अंकेक्षित खातें एवं निजी आय में वृद्धि की शर्त पूरी ना करने पर या वित्तीय वर्ष में निर्धारित तिथि तक दावा प्रस्तुत नहीं करने पर ग्राम पंचायत की निष्पादन अनुदान राशि अन्य निष्पादन अनुदान की शर्तो पूरी करने वाली ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दी जावेगी।

अतः निर्देशित किया जाकर लेख है कि आपकी जिला परिषद के अधीन ग्राम पंचायतों के लिए 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत भारत सरकार से निष्पादन अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु उपरोक्त शर्तों की पालना कराकर निर्धारित तिथि तक उपरोक्तानुसार सूचनाएं भिजवाना सुनिश्चित करे।

शासन सचिव एवं आयुक्त

एफ 165(13)पंरावि/एफएफसी/2015–16/ 9890–93 जयपुर, दिनांकः– 15-02-2016

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सदस्य पंचम राज्य वित्त आयोग, बी–ब्लॉक चतुर्थ तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन ग्राम पंचायतों से उपरोक्तानुसार पालना करवाकर निर्धारित अवधि में प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
4. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वितीय सलाहकार

699